लोकसभा निर्वाचन- 2024

प्रेस कांफ्रेंस

3 जून 2024

मध्यप्रदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 में 29 संसदीय क्षेत्रों की मतगणना 52 जिला मुख्यालयों पर दिनांक 04.06.2024 को प्रातः 8.00 बजे से होगी। मतगणना के लिए सभी इंतजाम किए जा चुके है। सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

तेज गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर ठंडा पानी, कूलर, पंखे, मेडिकल किट, एम्बुलेंस, अग्नि शमन यंत्र, फायर ब्रिगेड, सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं और संसाधनों की व्यवस्था की गई है।

त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

मतगणना स्थल पर 3 Tier सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केवल अधिकृत पासधारी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना सेंटर पर प्रवेश नहीं करेगा। आयोग के निर्देशानुसार बनाए गये कक्षों में ईव्हीएम तथा पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी।

मतगणना कर्मियों का रेंडमाईजेशन

मतगणना कर्मियों का रेण्डमाईजेशन 3 स्तर पर होगा। प्रथम एवं द्वितीय स्तर का रेण्डमाईजेशन हो चुका है। तृतीय रेण्डमाईजेशन मतगणना दिनांक को सुबह 5 प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जायेगा। आयोग द्वारा 29 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 116 प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं, जो जिलों में पहुंच चुके हैं।

रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट के लिए बनाए गए स्थानीय स्ट्रांग रूम से मतगणना सेंटर में बने पोस्टल बैलेट के स्ट्रॉग रूम में दिनांक 03.06.2024 को अपरान्ह 3 बजे के पश्चात् पोस्टल बैलेट को स्थानांतरित करने की कार्यवाही करेगें, जिसकी सूचना मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों तथा सभी अभ्यर्थी/ उनके अभिकर्ता को अनिवार्यतः दी जायेगी। सेवा निर्वाचकों

के पोस्टल बैलेट डाक से प्राप्त हो रहे हैं। मतगणना केन्द्र पर प्रातः 08 बजे के पूर्व तक प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलेट पेपर को गणना में शामिल किया जायेगा। इसके लिए रात्रि में पोस्टल डिपार्टमेन्ट को प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलेट की डिलेवरी प्रातः 08 बजे के पूर्व मतगणना केन्द्र पर हो जाएं, इस हेतु पोस्टल डिपार्टमेन्ट के नोडल अधिकारी / पोस्टमैन को पास जारी किए गए हैं।

मीडिया कर्मियों के लिए बनाया गया है पृथक से कक्ष:

मीडिया कर्मियों के लिए मतगणना केन्द्र पर पृथक से मीडिया सेन्टर बनाया गया है जहां पर टेलीफोन, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, कैलकुलेटर एवं इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मीडिया कर्मियों के लिए आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।

गणना व्यवस्था:

ईवीएम की मतगणना टेबल पर एक काउंटिंग सुपवाईजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट, एक काउंटिंग स्टॉफ तथा एक माइक्रो ऑब्र्जवर रहेगा। इसी प्रकार पोस्टल बैलेट की गणना टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, एक काउंटिंग सुपरवाईजर, दो काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो ऑब्र्जवर रहेगा।

ईवीएम/ पोस्टल बैलेट की टेबल पर अभ्यर्थी के काउंटिंग ऐजेन्ट रहेंगे, जिनके बैठने का क्रम (1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, (2) ऐसे मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के राज्यीय दल जिन्हें उस लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव चिन्ह नियत किया गया है, (3) अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत दल, (4) निर्दलीय, रहेगा।

स्ट्रॉग रूम से मतगणना हॉल तक मशीनें पहुंचाने के लिए विधानसभा सेगमेंट वार पृथक-पृथक मार्ग / रास्ता / व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसका सीसीटीवी कवरेज होगा।

मतगणना हॉल के भीतर ये सामग्री ले जा सकेंगे

मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी।

ये सामग्री रहेगी प्रतिबंधित

मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा प्रतिबंधित रहेगा।

ऑब्‍र्जवर के अतिरिक्त किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल RO/ARO /Counting Supervisor जो ETPBMS से जुडे हैं वह केवल ETPBMS ओपन करने के लिए ओटीपी हेतु मोबाइल ले जा सकेंगे।

मतगणना जिला मुख्यालय पर प्रातः 8 बजे विधानसभा क्षेत्रवार प्रारंभ होगी। 29 रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर पोस्टल बैलेट की मतगणना की जायेगी। लोकसभा के पोस्टल बैलेट की मतणना समाप्त होते ही अभ्यर्थीवार डाकमतों के परिणाम की घोषणा की जावेगी। प्रत्येक राउंड पूरा होने पर नियमानुसार उस राउंड के परिणाम की घोषणा की जावेगी तथा दूसरे राउंड की गिनती प्रारंभ होगी। मीडिया को भी इसकी जानकारी मीडिया सेन्टर में दी जावेगी, इस हेतु संबंधित जिला जनसंपर्क अधिकारी समन्वय बनाएंगे।

मध्यप्रदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 में 85 वर्ष से अधिक उम्र के 35,211 वरिष्ठ मतदाताओं एवं 12,816 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया। Essential Services के 1,432 कर्मियों द्‍वारा मतदान किया गया। 39,510 मतदान कर्मियों द्‍वारा पोस्टल बैलेट से मतदान किया गया। 37,573 सेवा निर्वाचकों के पोस्टल बैलेट अभी तक प्राप्त हो चुके है।

22,595 से अधिक अधिकारी कर्मचारी करायेंगे मतगणना

मध्यप्रदेश में ईवीएम की गणना हेतु 3,883 टेबल तथा पोस्टल की मतगणना हेतु 242 टेबल लगाई गई हैं। 22,595 से अधिक अधिकारी कर्मचारी मतगणना करायेंगे।

ईवीएम मतगणना हेतु सबसे अधिक 24 राउंड, 8-खजुराहो लोकसभा अंतर्गत 58-पवई विधानसभा क्षेत्र में तथा सबसे कम 12 राउंड, 02-भिंड लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 20-सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र जिला दतिया में होंगे।

सबसे अधिक 28-28 टेबलें

लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत चार जून को होने वाली मतगणना के दौरान सबसे अधिक टेबलें लोकसभा संसदीय क्षेत्र 15-बालाघाट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सेगमेंट 115-सिवनी, 14-मंडला लोकसभा के विधानसभा सेगमेंट 116-केवलारी, 117-लखनादौन और 18-विदिशा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विधानसभा सेगमेंट 156- बुदनी में क्रमश: 28-28 टेबलें लगाई गई हैं।

आयोग की वेबसाईट https://results.eci.gov.in पर देखें जा सकेंगे मतगणना के परिणाम

मतगणना के परिणाम के लिए जिलों में स्क्रीन आदि पर व्यवस्था की गई है। मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट **https://results.eci.gov.in** तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाईट **ceomadhyapradesh.nic.in** पर भी प्रदर्शित होंगे।

इसके साथ साथ आमजनों की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी मतगणना के परिणाम उपलब्ध रहेगें, इस हेतु इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। मतगणना उपरांत जुलूस, रैली आदि नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ही निकाली जा सकेगी।